

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 174 /2021 2021 दिनांक : 16.11.2021

श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर को दिनांक 06.12.2021 से 15.12.2021 तक 10 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 05.12.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह जाटव (RJ0615), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर को श्रीमती दीपिका सिंह के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री राजेन्द्र सिंह जाटव (RJ0615), जिनको प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
15-11-2021
दिनांक : 16.11.2021

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/90/2015/7065

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 34953 दिनांक 30.10.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
5. श्री राजेन्द्र सिंह जाटव (RJ0615), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार
16.11.21